तकनीकी समिति की बैठक– 18/6/11

विषय सं0–20 श्री सैय्यद फरहतुल्लाह एवं श्री
भूखण्ड संख्या–278/83, 278/
ऐशबाग रोड नाका हिण्डोला,
आवास के भवन मानचित्र के सम

समिति का संस्तुतिः नजूल ट्रस्ट आदि स्थानीय विभागों से अनापत्ति प्रमाण
होने के पश्चात् स्पष्ट रूप से प्रस्ताव करते हुए आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जा

विषय सं0–21 श्रीमती जुबैदा शहनशाह, भूखण्ड संख्या–13–जापलिंग रो हजरतगंज, लखनऊ पर समूह आवास निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र का प्राधिकरण द्वारा निरस्त किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के कम में पुर्नजीवित किये जाने हेतु भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

समिति का संस्तुतिः पूर्व में समूह आवास निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र को प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कम में समिति द्वारा पूर्व स्वीकृत मानचित्र में अंकित प्रतिबन्धों सहित भवन मानचित्र पुनर्जीवित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विषय सं0–22 जानकीपुरम, सेक्टर–जे विस्तार के भूखण्ड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की सरगम व स्मृति अपार्टमेन्ट की समूह आवास योजना के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

समिति का संस्तुतिः प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना में प्रस्तावित प्राधिकरण की समूह आवास योजना सरगम व स्मृति समूह आवास भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र तथा योजना प्राधिकरण द्वारा प्रकाशन कराते हुए आवंटन हेतु लाँच की जा चुकी है । योजना के प्रोजेक्ट पर पूर्व में ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । मानचित्र में कतिपय संशोधन के दृष्टिगत है जिनसे जोनल अभियन्ता को अवगत कराया जा चुका है, शासकीय अभिकरण की योजना होने के तथा योजना पर पूर्व मे प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के दृष्टिगत अवगत कराये संशोधनों का समावेश मानचित्र में किये जाने के प्रतिबन्ध एवं निम्न प्रतिबन्धों सहित समिति मानचित्र स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

प्रतिबन्धः–

1. उपरोक्तानुसार संशोधनों का समावेश करते हुये मानचित्र पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 से अवलोकित करा लिया जायेगा ।
2. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

3. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाए।
4. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
6. एन.बी.सी. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाए।
7. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।

विषय सं0–23 **सेन्ट फांसिस हाईस्कूल द्वारा भूखण्ड संख्या–4/7, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, क्षेत्रफल–9021.00 वर्ग मी. पर प्रस्तावित भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।**

समिति का संस्तुतिः गोमती नगर विस्तार–4 के अन्तर्गत स्कूल भूखण्डहेतु आरक्षित भूखण्ड पर सेन्ट फांसिस हाईस्कूल के निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत तकनीकी समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ मानचित्र स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

प्रतिबन्धः–

1. बेसमेन्ट में वाहनों की पार्किंग विकसित करना तथा इसी रूप में उपयोग करना सुनिश्चित करना होगा ।
2. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। अनापत्ति में उल्लेखित प्रतिबन्धों का पालन करने तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन प्रबन्धों के सुचारू क्रम से कियाशील/उपयोग होने का सत्यापन अग्निशमन विभाग से पक्ष द्वारा सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व पक्ष का होगा अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
3. विद्यालय में प्रवेश/शुल्क के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण कें कर्मियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा ।
4. स्थल पर विकसित पार्किंग व्यवस्था का रख–रखाव करना तथा इसे सदैव सुचारू रूप से कियाशील बनाये रखना पक्ष द्वारा सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
5. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाए।
6. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम व वृक्षारोपण का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
8. एन.बी.सी. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाए।

9. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत ही भवन के उपयोग की अनुमति दी जायेगी।

10. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।

11. निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जाएगा। स्वीकृत से विपरीत निर्माण किये जाने पर सम्बन्धित जोनल अभियन्ता उत्तरदायी होंगे ।

12. मानचित्र निर्गत से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी।

अन्त में सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद् के सहित बैठक समाप्त की गयी।

(राजेन्द्र तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(जे0एन0रेड्डी)
नगर
नियोजक / संयोजक
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(सत्यवीर सिंह दलाल)
सहयुक्त नियोजक
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं
ग्राम नियोजक, उ0प्र0
सदस्य

(एस0एन0 त्रिपाठी)
मुख्य अभियंता,
ल0वि0प्रा0

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव,
ल0वि0प्रा0

अनुमोदित

(राजीव अग्रवाल)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ